

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.3(1)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक 14 SEP 2013

—: आदेश :—

डॉ० विजय सिंह, चिकित्सा अधिकारी रेडियोडायग्नोसिस विभाग, सर्वाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 17/2013 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2043 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर राजकीय आवास संख्या 26/26, गांधीनगर जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तें :—

1. आवास का कब्जा 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वर्य तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वर्य/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीय जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भालीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ 13004155 दिनांक 27.8.2013 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य, सर्वाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
5. अधीक्षक, सर्वाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।

8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जयपुर शहर, जयपुर
12. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर
13. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. डॉ० विजय सिंह, चिकित्सा अधिकारी रेडियोडायग्नोसिस विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव